



शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
MINISTRY OF  
EDUCATION  
Department of School Education & Literacy



APAAR  
ONE NATION, ONE STUDENT ID

# अपार आई.डी.

“एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान”

अपने बच्चे की शिक्षा यात्रा को सरल बनाना



कौशल विकास



व्यावसायिक  
यात्रा



एक आजीवन शैक्षणिक पहचान

उच्च शिक्षा



माध्यमिक शिक्षा



प्रारंभिक शिक्षा



13 फरवरी 2024 को  
माननीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार  
द्वारा शुभारंभ किया गया।



## अपार (APAAR) क्या है



अपार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित एक क्रांतिकारी पहल है, जो नई शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित है। यह भारत के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique ID) प्रदान करती है, जिससे पूर्व-प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी शैक्षणिक यात्रा को सुगम, सुव्यवस्थित और एकीकृत बनाया जा सके।  
अपार का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखना तथा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता लाना है।

## अपार क्यों आवश्यक है



### शैक्षणिक स्थानांतरण

विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का सहज स्थानांतरण



### केंद्रीकृत डिजिटल भंडारण

सभी प्रमाणपत्र डिजिलॉकर में सुरक्षित रूप से संग्रहित



### शिक्षा में सुगमता

भौतिक दस्तावेजों को साथ रखने की आवश्यकता समाप्त



## मुख्य विशेषताएँ



### एकीकृत शैक्षणिक पहचान

एक विशिष्ट आई डी जो सभी शैक्षणिक अभिलेखों को जोड़ती है, त्रुटियों को कम करती है तथा डेटा की सटीकता सुनिश्चित करती है।



### सुरक्षित डिजिटल अभिगम

डिजिलॉकर के माध्यम से कागजरहित व सुरक्षित उपलब्धता



### अकादमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट

उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के बीच शैक्षणिक क्रेडिट का स्थानांतरण और संचयन की सुविधा



### आजीवन शिक्षण सहयोग

विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अभिलेखन व कौशल विकास में सहयोग



# APAAR

ONE NATION, ONE STUDENT ID

## अपार पारिस्थितिकी तंत्र



### विद्यालय

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों का प्रबंधन



### विद्यार्थी

अपने शैक्षणिक अभिलेखों को देखना तथा सत्यापित करना



उच्च शिक्षा/कौशल संस्थान और उद्योग विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों तक पहुँच और सत्यापन कर सकते हैं



### UDISE+

अपार आई डी सृजन हेतु समग्र पोर्टल



### डिजीलॉकर

शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के लिए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म



### आधार

विद्यार्थियों की पहचान सत्यापन, दोहरे पंजीकरण को रोकना तथा डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करना

## लाभ



### विद्यार्थी स्थानांतरण

संस्थानों, बोर्डों तथा राज्यों के बीच पढ़ाई के दौरान सहज स्थानांतरण

### सुरक्षित डिजिटल भंडारण

सभी प्रमाणपत्र व उपलब्धियाँ डिजी लॉकर में सुरक्षित रूप से संग्रहित रहती हैं

### प्रक्रियाओं का सरलीकरण

प्रवेश, प्रमाण-पत्र सत्यापन और शैक्षणिक क्रेडिट स्थानांतरण की प्रक्रिया आसान तथा व्यवस्थित बनाता है



### सटीक और विश्वसनीय डेटा

एकल डेटाबेस में त्रुटियाँ कम होती हैं, जिससे शैक्षणिक अभिलेख निरंतर अद्यतन और सुसंगत रहते हैं

### आजीवन प्रगति अभिलेख

विद्यार्थी की शैक्षणिक तथा कौशल उपलब्धियों का आजीवन रिकॉर्ड

### विद्यार्थी पहचान प्रमाण

यह विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के लिए मान्य पहचान पत्र है

## पंजीकरण प्रक्रिया



### चरण



1

#### जागरूकता

विद्यालय अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) के माध्यम से APAAR ID और इसके लाभों का विवरण प्रदान करता है।



2

#### अभिभावकीय सहमति

विद्यार्थी के नाबालिक होने पर विद्यालय में अभिभावक की लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।



3

#### सत्यापन

विद्यालय द्वारा आधार के अनुसार विवरण का सत्यापन किया जाता है।



4

#### आई.डी जेनरेशन

APAAR ID बनाई जाती है और DigiLocker के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है।

## अधिक जानकारी हेतु

### संपर्क करें

हेल्पलाइन: 1800-889-3511

वेबसाइट: <https://apaar.education.gov.in>



APAAR वेबसाइट पर जाने के लिए QR स्कैन कर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  
श्री ऑरोबिंदों मार्ग, नई दिल्ली 110016  
फोन: 011-26962580 फैक्स: +91 112686 4141  
ईमेल: [jdciet.ncert@nic.in](mailto:jdciet.ncert@nic.in), [jointdirector@ciet.nic.in](mailto:jointdirector@ciet.nic.in)